

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1 अपील संख्या – 2178/2013/भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन-भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राधिका ऑयल इण्डस्ट्रीज,
भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी.

2 कास-आब्जेक्शन संख्या – 355/2014/भरतपुर

मैसर्स राधिका ऑयल इण्डस्ट्रीज,
भरतपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन-भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री ओ. पी. गुप्ता,
अभिभाषक

.....विभाग की ओर से.

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08/10/2015

निर्णय

उक्त अपील व कास-आब्जेक्शन वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 78/उपा-भरत/2012-13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.04.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म का दिनांक 30.07.2012 को सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण भौतिक सत्यापन में स्टॉक में अन्तर पाये जाने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25, 61 व 75(8) के तहत कमशः कर रू0 1348177/, धारा 75(8) के तहत शास्ति रू0 78200/- व धारा 61 के तहत शास्ति रू0 2696354/- कुल रू0 4122731/- का करारोपण करते हुए मांग राशियां कायम की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.04.2013 से अधिनियम की धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति रू0 78200/-को यथावत रखा गया तथा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति रू0 2696354/- का अपास्त करते हुए, "कर के बिन्दु पर" प्रकरण पुनः कर

- 282


लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी को व्यवहारी के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज खरीद बिक्री एवं लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच करने के उपरान्त पुनः आदेश पारित करने के निर्देश देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के इस प्रतिप्रेषण आदेश के विरुद्ध यह अपील व कास-आब्जेक्शन अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील पेश करने में हुए विलम्ब बाबत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी संलग्न किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के निर्देश के साथ आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जबकि वक्त सर्वेक्षण व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार सरसों तेल की मात्रा अधिक व आ.बी. ऑयल कम पाया गया था। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसी आधार पर करारोपण किया तथा घोषित स्टॉक से अधिक पाये गये माल पर अधिनियम की धारा 75(8) के तहत तथा करावचंचित बिक्री पर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अनियमितता को अनदेखा करते हुए प्रकरण पुनः जांच के लिये प्रतिप्रेषित कर दिया गया तथा अधिनियम की धारा 61 के तहत कायम शास्ति राशि को अपास्त कर दिया गया, जो विधि विरुद्ध है। अतः विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त शास्ति राशि को बहाल करते हुए अपीलीय अधिकारी के इस विधि विरुद्ध आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील पेश करने में हुए विलम्ब बाबत समुचित कारणों का उल्लेख अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कर दिया गया है अतः विलम्ब को कण्डोन करने हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जावे।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के अपास्तीकरण के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया गया तथा अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी की पूर्व में सरसों तेल के उत्पादन की इकाई थी जिसमें बिल बुकों पर सरसों का तेल राधिका/नंद ब्राण्ड छपा हुआ था लेकिन उत्पादन कार्य बंद होने के बाद व्यवहारी द्वारा सरसों तेल, राईस ब्रान ऑयल एवं रिफाइण्ड तेल की खरदी बिक्री का कार्य शुरू कर दिया, परन्तु पूर्व में जो बिल बुक छपी हुई थी उन्हीं बिल बुकों को काम में लिया गया, जिस पर बिल तो रिफाइण्ड ऑयल व राईस

 - 357

ब्रान ऑयल के बनाए पर पूर्व में इन बिल बुकों पर छपे सरसों तेल राधिका/नंद ब्राण्ड को गलती से काटकर सही नहीं कर पाये, यह व्यवहारी की एक तकनीकी भूल कही जा सकती है, क्यों कि व्यवहारी की लेखा-पुस्तकों में इन सभी खरीद व बिक्री दर्ज थी। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि व्यवहारी द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली समस्त खरीद व बिक्री का इन्द्राज लेखा पुस्तकों व स्टॉक रजिस्टर में किया जाता है तथा व्यवहारी द्वारा कोई भी संव्यवहार छुपाया नहीं गया है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमाने तरिके से गलत खरीद/बिक्री जाहिर करते हुए करारोपण किया व शास्ति का आरोपण किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के द्वारा किये गये खरीद/बिक्री के संव्यहारों को उचित मानते हुए आरोपित शास्ति अपास्त की गई हैं। अतः इस हद तक अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखने का तथा करारोपण के बिन्दु पर पुनः जांच हेतु पारित प्रतिप्रेषित आदेश को अपास्त किया जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कास-आब्जेक्शन के संबंध में क कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति रू0 78200/- का यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है क्योंकि फर्म का भौतिक सत्यापन दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में नहीं किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के इस विधि विरुद्ध आदेश को भी अपास्त किया जावे। अपने इन कथनों के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कास-आब्जेक्शन को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील पेश करने में हुए विलम्ब बाबत कारणों का अध्ययन किया गया। यह कारण यथोचित प्रतीत होने से विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

प्रकरण में व्यवहारी फर्म का दिनांक 30.07.2012 को सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण भौतिक सत्यापन में स्टॉक में अन्तर पाये जाने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25, 61 व 75(8) के तहत करारोपण करते हुए मांग राशियां कायम की गई।

व्यवहारी फर्म पूर्व में सरसों तेल का उत्पादन कर सरसों तेल राधिका/नंद ब्राण्ड से विक्रय किया जाता था जो कि बिल बुक में छपा हुआ था जो फर्म की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अवलोकन से भी स्पष्ट है। तत्पश्चात



1. अपील संख्या - 2178/2013/भरतपुर
2. कास-आब्जेक्शन संख्या - 355/2014/भरतपुर

फर्म द्वारा उत्पादन कार्य बंद कर दिया गया तथा सरसों तेल, रिफाइण्ड तेल व राईस ब्रान की खरीद/बिक्री की जाती थी। परन्तु व्यवहारी फर्म द्वारा इस हेतु पुरानी बिल बुक काम में ली जा रही थी तथा रिफाइण्ड राईस तेल की बिक्री में संशोधन नहीं किया गया। केवल इसी वजह से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त बिक्री सरसों तेल की मान कर बिक्री के अनुपात में खरीद किए गए सरसों तेल कम होने पर करापवंचन का आधार बनाया गया। जबकि फर्म का सर्वेक्षण के दौरान फर्म भागीदार द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर पर सर्वेक्षण दल के हस्ताक्षर है उक्त स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन खरीद किए माल का बिक्री की गई माल की पूर्ण प्रविष्टि की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि फर्म द्वारा रिफाइण्ड तेल, राईस ब्रान तेल व सरसों तेल की खरीद की गई है एवं बिक्री भी अन्तर्राज्यीय बिक्री के रूप में की गई है लेकिन बिल बिक्री में संशोधन नहीं करने के कारण तकनीकी भूल है जिसके समर्थन में फर्म भागीदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिक्री बिल में रिफाइण्ड तेल, राईस ब्रान तेल व सरसों तेल अंकित नहीं करने के कारण करापवंचन का सन्देह होने के कारण कार्यवाही की गई है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि फर्म द्वारा खरीद किए तेल (सरसों तेल, रिफाइण्ड, राईस ब्रान) का स्पष्ट उल्लेख स्टॉक रजिस्टर में है एवं अन्तर्राज्यीय बिक्री मय फर्म के पूर्ण पता सहित अंकन है, जिसमें स्पष्ट होता है कि फर्म द्वारा सरसों तेल के अलावा रिफाइण्ड तेल व राईस ब्रान तेल की अन्तर्राज्यीय बिक्री की गई है जो कि फर्म द्वारा घोषित अन्तर्राज्यीय बिक्री में सम्मिलित है। इस कथन की पुष्टि फर्म द्वारा मै. महेश ट्रेडिंग कम्पनी जैनामोर बोकारों (झारखण्ड) के पत्र दिनांक 10.05.2012 से भी होती है जिसमें उक्त फर्म द्वारा खरीद किए गए सरसों तेल, रिफाइण्ड तेल व राईस ब्रान तेल का हिसाब अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि फर्म द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री की गई है जिसमें सरसों तेल, रिफाइण्ड तेल व राईस ब्रान तेल की बिक्री सम्मिलित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिक्री बिलों में कांट-छांट नहीं करने के कारण करापवंचन का आधार माना है जबकि लेखा पुस्तिका (स्टॉक रजिस्टर खाता बही) से उक्त करापवंचन के संदेह की पुष्टि नहीं होती है।

प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रु. 26,96,354/- आरोपित की गई है। फर्म द्वारा समस्त माल की खरीद एवं बिक्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर खाता बही में किया हुआ है केवल पुरानी बिल बुक को काम में लेने के कारण सरसों तेल के



362

लगातार.....5

अलावा अन्य रिफाइण्ड तेल व राईस ब्रान तेल की बिक्री के समय सरसों तेल को कांट कर अन्य तेलों का नाम अंकन नहीं किया गया है। जबकि सरसों तेल, रिफाइण्ड तेल व राईस ब्रान तेल की अन्तर्राज्यीय बिक्री स्टाक रजिस्टर व खरीददार व्यवसायी के पत्र से भी प्रमाणित होती है। अतः बिक्री बिल में रिफाइण्ड तेल, राईस ब्रान तेल व सरसों तेल का संशोधन नहीं करना एक तकनीकी भूल है। स्टॉक रजिस्टर पर सर्वेक्षण दल के हस्ताक्षर हैं। अतः समस्त माल की खरीद एवं बिक्री का इन्द्राज नियमित पुस्तिका में किया हुआ है इसलिए विद्वान प्रतिनिधि द्वारा माननीय प्रस्तुत न्यायालयों के निर्णय M/s Shree Krishna Electrical Vs State of Tamiland other 23 VST 249", CTO (AB) Sriganganagar Vs M/s Durge ShuriFood Ltd. Sriganganagar 32 TUD 03" व अन्य निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में शास्ति विधिक नहीं होने के कारण अपास्त योग्य है।


पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि फर्म का भौतिक सत्यापन दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में लिया गया जो कि पत्रावली के पृष्ठ 10 पर संलग्न है। अतः राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति विधिक है क्योंकि व्यवहारी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान अधिक पाए गये माल के संबंध में कोई विरोध नहीं किया गया है। इसलिये उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अधिनियम की धारा 75(8) के संबंध में पारित आदेश यथावत रखा जाता है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा कर के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा सभी तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया है।

अतएव कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.07.2012 में धारा 25 के तहत आरोपित कर व अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है तथा अधिनियम की धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति यथावत रखी जाती है।

अतः अधिनियम की धारा 75(8) के तहत पारित आदेश का प्रश्न है, इस हद तक अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 75(8) के बिन्दु पर प्रस्तुत कास-आब्जेक्शन अपील अस्वीकार की जाती है। जहां तक विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील में कर व अधिनियम की धारा 61 के तहत कायम की गई शास्ति का प्रश्न है, इस संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

263
(बी. के. मीणा)
अध्यक्ष